

५५५/२५



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

क्रमांक:-

दिनांक:- १४.१०.२५

"ग्रामीण सेवा शिविर"

कैम्प कोर्ट.....ढेड़रिया.....

२१०२५/३५४

शेखराम बनाम राज सु.११२

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६

निर्णय दिनांक:- १४.१०.२५

पटवारी हल्का ढेड़रिया, भू अभिलेख निरीक्षक शेखराम की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के तहत राजस्व ग्राम ढेड़रिया के खाता संख्या ३३४ में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्धि उपरान्त प्रविष्टि	वि. विवरण
01.	<u>ढेड़रिया</u>	<u>३३४</u>	<u>१११</u>	<u>शेखराम पु</u>	<u>शेखराम पु</u>	
02.			<u>२</u>	<u>काका</u>	<u>काका</u>	
03.						
04.						

उपखण्ड अधिकारी

नादौती

कैम्प कोर्ट.....ढेड़रिया.....

दिनांक:- १४.१०.२५

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
02. पटवारी, पटवार हल्का ढेड़रिया।
03. प्रार्थी शेखराम।

उपखण्ड अधिकारी

नादौती

